क्र. सं.	दिनांक या कार्यवाही	आज दिनांक तक
	12/12/22	पत्रावली पेश हुई। परिकापन वकील उप. है जवाब प्रा. पत्र हेतु पत्रावली दिनांक 19/12/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)
	19/12/22	पत्रावली पेश हुयी E.O. साहब / कार्य कन्डोलेंस ऐरर्प स्थायी ... दिनांक दी गई। पश्चात पत्रावली दिनांक 2/1/23 को पेश हो।
	2/1/23	पत्रावली पेश हुई। परिकापन वकील उप. है। जवाब प्रा. पत्र हेतु पत्रावली दिनांक 16/1/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)
	16/1/23	पत्रावली पेश हुई। परिकापन वकील उप. है। वास्ते जवाब प्रा. पत्र पत्रावली दिनांक 23/1/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)
	23/1/2023	पत्रावली पेश की। वकील प्रार्थी व उपस्थित अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश की गयी। अग्र. जवाब बन्द किया जाता है। बहस वकील प्रार्थी सुनी। प्रार्थी पक्ष का कथन था कि अग्र. अप्रार्थीगण को अस्थायी तौर पर से पाबन्द किया जाकर स्थगन आदेश दिनांक 13.8.19 का तामील संबंधित कन्डोलेंस किया जाता है। पत्रावली बाद वकील आखिर यथावत रहे। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)